न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– जगदीश प्रसाद गौड़
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 01/2021

श्रीराम पुत्र मूलाराम उम्र 40 वर्ष जाति माली निवासी कुआ बागवाला जमात के पास उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. बुद्धवारीलाल पुत्र भानाराम उम्र 60 वर्ष जाति माली कुआ बागवाला, जमात के पास उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
2. श्रीमती सोमरी देवी पत्नी नरसीराम माली उम्र60 वर्ष, ढाणी इसरोध कस्बा उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
3. तहसीलदार उदयपुरवाटी जरिये लैण्ड होल्डर तहसील उदयपुरवाटी।

– रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1526 दिनांक 22.8.2007
व 1580 दिनांक 22.10.2007 को निरस्त कराने हेतु

उपस्थितिः–

1. श्री फूलचन्द सैनी , एडवोकेट ––––– ––––––अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––––––रेस्पोडेन्ट्स की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 29.8.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1526 आदेश दिनांक 22.8.2007 व 1580 दिनांक 22.10.2007 के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि– नामान्तरकरण संख्या 1526 आदेश दिनांक 22.8.2007 व 1580 दिनांक 22.10.2007 तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश कानून व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से मिलिभगत होने के कारण अपीलार्थी को सूचना दिये बिना ही दोनों नामांतरकरण गलत दर्जकर दिये हैं। अपीलांट का कथन है कि उदयपुरवाटी ग्राम में मांगुराम नामक व्यक्ति हुआ था जिसके चार पुत्र रामधन, नरसाराम, सेडूराम, गोपीराम नामक व्यक्ति हुये जिसमें गोपी[illegible] उसके तीन पुत्रियां नानूड़ी देवी, कजी, कमला हुई। इसके पश्चात गोपीराम की मृत्यु हो [illegible]। [illegible]राम की पत्नी ज्यानकी देवी ने भानाराम नामक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली और भानाराम [illegible] मूलाराम एवं बुद्धवारी पैदा हुये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested

मूलाराम बुद्धवारी से करीबन 30 वर्ष बड़े थे, इसलिए मूलाराम ने ही परिवार का पालन पोषण किया तथा बहिनों की शादी की। भानाराम साधारण भोले भाले व्यक्ति थे। भानाराम के नाम एवं सेडूराम दोनों भाइयों के उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नंबर 682 रकबा 032 हैक्टर, खसरा नंबर 681 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 694 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 699 रकबा 0.19 हैक्टर खसरा नंबर 3441/685 रकबा 0.16 हैक्टर का संयुक्त खाता वर्ष 2007 में था तथा खसरा नंबर 692 भानाराम, रामधन, नरसाराम एवं सेडूराम का शामलाती राजस्व खाता था। उक्त भूमि खातेदारी अधिकार के अन्तर्गत सेडूराम एवं भानाराम को मिली थी चूंकि उनकी पैत्रिक भूमि नहीं थी, उनकी स्वअर्जित भूमि नहीं थी। खसरा नंबर 692 का माननीय न्यायालय में अलग से वाद विचाराधीन है। भूमि खसरा नंबर 682, 681, 694, 699 एवं खसरा नंबर 3441/685 की भूमि का विवाद इस वाद पत्र में होने के कारण इस भूमि को विवादित भूमि कहा गया है। उक्त विवादित भूमि के 1/2 हिस्से के हिस्सेदार सेडूराम थे जिनका विरासतन नामांतरकरण जगन्नाथ एवं प्रभूदयाल के नाम से नामांतरकरण दर्ज होने के उपरान्त उन्होंने अपना हिस्सा प्रतिवादी नंबर 2 को बेचान कर दी तथा भानाराम की मृत्यु के उपरांत विरासतन नामांतरकरण मूलाराम, बुधवारी, कजी एवं कमला के नाम दर्ज हुई जिसमें मूलाराम ने भूमि खसरा नंबर 682, 681, 694,699 में 1/4 हिस्सा जो नामान्तरकरण दर्ज होने पर मिला उसको प्रतिवादी नंबर 2 सोमारी को बेचान कर दी, इसलिए सोमारी देवी की भूमि का इस वाद से कोई विवाद नहीं है। वादपत्र में भानाराम की मृत्यु के उपरांत कजी एवं कमला को मिली भूमि एवं उसके पश्चात उनके द्वारा किये गये हक त्याग की भूमि का विवाद है, जिसे मुख्य विवादित भूमि माना जावे अर्थात भानाराम के हिस्से की सम्पूर्ण खाता भूमि रकबा 0.655 हैक्टर को पूर्ण खाता इस वाद पत्र में माना गया है। भूमि खसरा नंबर 681, 682, 694, 699 व 3441/685 का भानाराम एवं भाई सेडूराम द्वारा 50 वर्ष पूर्व में ही बाहमी बंटवारा कर रखा था उक्त भूमि स्व–अर्जित है जो खातेदारी अधिकारों के अन्तर्गत मिली थी। जिसमें 682 व 694 खसरा नंबर भानामराम के पास थी तथा खसरा नंबर 681 व 699 सेडूराम के पास थी। भूमि खसरा नंबर 3441/685 शामलाती खाली पड़ी थी। भानाराम की पुत्री नानूड़ी 1980 में ही फौत हो गयी व पुत्र मूलाराम वर्ष 2013 में भूमि विवाद के कारण फौत हो गया जो वादी के पिता थे। मूलाराम के वारिस श्रीराम, सोनाराम, रामसिंह, दिनेश पुत्रगण एवं संतरा, प्रेम, प्रमिला, शारदा, पुत्रियां तथा पत्नी प्रभा देवी हैं। इन्होंने वाद में पैरवी हेतु अपीलार्थी को पॉवरऑफ अटार्नी से मुख्त्यारआम खास नियुक्त कर रखा है। भानाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपनी भूमि का बंटवारा अपने दोनों पुत्रों को अपने हिस्से की भूमि में से 1/2 1/2 करके 1980 में ही सौंप दी थी और भानाराम ने स्वयं ने ही बंटवारा कर दे दिया था [illegible] ही प्रतिवादी नंबर 1 ने सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी में स्वीकारा है। भानाराम व उसकी [illegible] का भरण–पोषण उसके दोनों पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

करते थे। कजी एवं कमला की शादी करीब 60 वर्ष पूर्व हुई थी, इनके भात छूछक आदि समस्त मूलाराम ने ही किये, पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार बहिने उक्त कारण से अपने भाई से पैत्रिक भूमि व पैत्रिक सम्पति में हिस्सा नहीं लेती हैं। प्रतिवादी बुधवारी मूलाराम से 30 वर्ष छोटा था, भानाराम कमाने में उस समय अक्षम था, इसलिए बहिनों एवं प्रतिवादी नंबर 1 का विवाह भी मूलाराम ने ही किया। शादी के बाद कजी एवं कमला ने अपने ससुराल में पैत्रिक सम्पति ग्रहण कर ली है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति एक ही जगह पैत्रिक सम्पति ग्रहण कर सकता है, दोनों जगह पैत्रिक सम्पति ग्रहण नहीं कर सकता अनुच्छेद 13 व 15 का उल्लंघनकारी है। भानाराम की मृत्यु के पश्चात दोनों पुत्रों ने ही उनके ऋण को चुकाया है। अपीलार्थी के दादा ने अपीलार्थी के पिता को यह भूमि दी थी ।

अपीलांट ने आगे कथन किया कि भानाराम की मृत्यु के पश्चात उसके विरासतन नामांतरकरण मूलाराम, बुधवारी, कजी एवं कमला के नाम प्रतिवादी नंबर 1 ने गलत दर्ज करवाया है। प्रतिवादी नंबर 3 राजस्व अधिकारी से मिलिभगत करके गलत नामांतरकरण संख्या 1526 दिनांक 22.8. 2007 दर्ज करवाया है, क्योंकि कजी व कमला पुत्री थी ही नहीं। और जब उनकी शादी की तब पुत्रियों को पिता की सम्पति में अधिकार देने का कोई कानून नहीं था। भानाराम की मृत्यु उपरांत तस्दीक वारिस प्रमाण पत्र नगरपालिका उदयपुरवाटी ने भी मूलाराम एवुं बुधवारी मात्र दो ही वारिसों के नाम से जारी किया। उक्त वारिस प्रमाण पत्र की भी तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अवहेलना करके गलत नामांतरकरण दर्ज किया है कब्जे के अनुसार नामांतरकरण दर्ज नहीं किया। पटवारी हल्का ने वादी के पिता मूलाराम तथा बुधवारी लाल को भानाराम की भूमि का 1/2, 1/2 हिस्से में किये गये लिखित बंटवारा जिसमें भानाराम की सहमति से किया गया पारिवारिक बंटवारा है जो दिनांक 1.5. 1996 को हुआ था जिसकी प्रतिवादी नंबर 3 ने अवहेलना की है तथा जिसको प्रतिवादी नंबर 1 ने सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी में स्वीकार किया गया है।

अपीलांट का कथन है कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 में उपबन्धित प्रावधान के अनुसार धारा 06 5 के अनुसार कोई पारिवारिक बंटवारा दिनांक 20.12.2004 से पूर्व हो चुका हो तो वहां पुत्रियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। आज भी विवादित भूमि पर 1/2 हिस्से पर मूलाराम के वारिसान वादी का कब्जा है। कजी एवं कमला के नाम नामान्तरकरण संख्या 1526 एवं 1580 उदयपुरवाटी में बुधवारी को कब्जा नहीं मिला है। प्रतिवादी नंबर 1 ने कजी एवं कमला को बहला फुसलाकर उनके हिस्से में दर्ज 1/4, 1/4 हिस्से की भूमि का हकत्याग करवाया है। उक्त रिलिज डीड का पटवारी हल्का एवं प्रतिवादी नंबर 3 ने गलत नामान्तरकरण दर्ज किया है। रिलिज डीड का अर्थ होता है हक त्यागकर्ता अपना हक उसी खाते में छोड़ देता है। अर्थात उस खाते के सभी खातेदारान को सम हिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested

जायेगा न कि किसी एक खातेदार को। चाहे हकत्यागकर्ता अपने हक को त्याग कर रहा है अर्थात अपना हक उस खाते में ही छोड़ रहा है। यहां विवादित भूमि भानाराम की है जो विवादित भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार था। भानाराम की मृत्यु के उपरांत नामांतरकरण द्वारा चार खातेदार मूलाराम, बुधवारी, कजी एवं कमला बने। यदि कजी एवं कमला हक त्याग करती हैं तो उन दोनों का हिस्सा समभागों में मूलाराम वादी के पिता तथा बुधवारी को बराबर–बराबर जायेगा। क्योंकि दोनों में ब्लड रिलेशन बराबर है। चाहे हक त्याग में नाम अकेले बुधवारी का ही क्यों ना हो। उक्त रिलीज डीड बाबत विभिन्न न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं जो कि एम. कृष्णा राव बनाम एम.एल. नरसिखा राव वगैरह में यह बताया गया है कि रिलीज डीड में हक त्यागकर्ता को पूर्व में अधिकार था तो वह रिलीज डीड करवाते ही खो दिया है। अर्थात उक्त का सम्पूर्ण हिस्सा उस खाते के सभी खातेदारों को चला गया यदि पूर्व में अधिकार नहीं था, तो भी उसके द्वारा करवाया गया रिलीज डीड बेअसर हो जायेगा क्योंकि उसके द्वारा त्यागे गये अधिकार शेष बचे खाते में खातेदारों को चला जायेगा। इससे उस खाते में रिलीज डीड द्वारा त्यागे गये अधिकार हिस्सा सम हिस्सों में शेष खातेदारों को जायेगा। राजस्व मण्डल द्वारा कमला देवी बनाम चम्पालाल में भी यही सिद्धांत प्रतिपादित किया जा चुका है कि कोई भी खातेदार अपनी सम्पति सभी खातेदारों के हक में छोड़ सकता है, परन्तु किसी विशिष्ट खातेदार के हक में त्याग नहीं कर सकता। अतः हक त्याग पत्र के पश्चात जो उदयपुरवाटी के नामान्तकरण संख्या 1580 दिनांक 22.10.2007 कजी एवं कमला से बुधवारी अकेले को हुआ है, उसे खारिज किया जावे।

अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि उदयपुरवाटी की भूमि खसरा नंबर 681, 682, 694, 699, 3441/685 में अपीलांट के पिता मूलाराम अथवा उसके वारिसों के नाम 1/4 हिस्सा फरमाया जावे अथवा विवादित भूमि भानाराम के हिस्से में 1/2 हिस्सा मूलाराम के वारिसानों के नाम करने का आदेश फरमाया जावे।

उदयपुरवाटी के नामान्तरकरण संख्या 1526 दिनांक 22.8.2007 में गलत वारिस दर्ज करने के कारण तथा उदयपुरवाटी के नामान्तरकरण संख्या 1580 दिनांक 22.10.2007 में हक त्याग से भूमि एक खातेदार के नाम नहीं होकर शेष सभी खातेदारों के पक्ष में दर्ज नहीं करने के कारण नामान्तरकरण संख्या 1580 को भी खारिज फरमावे।

भूमि भूमि खसरा नंबर 681, 682, 694, 699, 3441/685 हकत्याग से उदयपुरवाटी के नामान्तरकरण संख्या 1580 दिनांक 22.10.2007 को खारिज करने के उपरांत उपरोक्त खसरा नंबरों की भूमि में राजस्व रिकार्ड में 1/8 भूमि अपीलार्थी के पिता ... स्व0 मूलाराम के नाम अथावा स्व0 मूलाराम के वारिसान के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर

उदयपुरवाटी के सरहद में भूमि खसरा नंबर 681, 682,694, 699, 3441/685 उदयपुरवाटी वास्ते स्थायी निषेधाज्ञा फरमायी जावे। अपीलार्थी के हक में अन्य कोई सिद्धि हो तो फरमायी जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि:- नामान्तरकरण संख्या 1526 आदेश दिनांक 22.8.2007 व 1580 दिनांक 22.10.2007 तहसीलदार उदयपुरवाटी का आदेश कानून व पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने रेस्पोडेन्ट नंबर 1 से मिलिभगत होने के कारण अपीलार्थी को सूचना दिये बिना ही दोनों नामांतरकरण गलत दर्जकर दिये हैं। अपीलांट का कथन है कि उदयपुरवाटी ग्राम में मांगुराम नामक व्यक्ति हुआ था जिसके चार पुत्र रामधन, नरसाराम,सेडूराम,गोपीराम नामक व्यक्ति हुये जिसमें गोपीराम की शादी के पश्चात उसके तीन पुत्रियां नानूड़ी देवी, कजी, कमला हुई। इसके पश्चात गोपीराम की मृत्यु हो गयी। गोपीराम की पत्नी ज्यानकी देवी ने भानाराम नामक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली और भानाम से मूलाराम एवं बुद्धवारी पैदा हुये। मूलाराम बुधवारी से करीबन 30 वर्ष बड़े थे,इसलिए मूलाराम ने ही परिवार का पालन पोषण किया तथा बहिनों की शादी की। भानाराम साधारण भोले भाले व्यक्ति थे। भानाराम के नाम एवं सेडूराम दोनों भाइयों के उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा नंबर 682 रकबा 032 हैक्टर, खसरा नंबर 681 रकबा 0.40 हैक्टर, खसरा नंबर 694 रकबा 0.24 हैक्टर, खसरा नंबर 699 रकबा 0.19 हैक्टर खसरा नंबर 3441/685 रकबा 0.16 हैक्टर का संयुक्त खाता वर्ष 2007 में था तथा खसरा नंबर 692 भानाराम, रामधन, नरसाराम एवं सेडूराम का शामलाती राजस्व खाता था। उक्त भूमि खातेदारी अधिकार के अन्तर्गत सेडूराम एवं भानाराम को मिली थी चूंकि उनकी पैत्रिक भूमि नहीं थी, उनकी स्वअर्जित भूमि नहीं थी। खसरा नंबर 692 का माननीय न्यायालय में अलग से वाद विचाराधीन है। भूमि खसरा नंबर 682, 681, 694, 699 एवं खसरा नंबर 3441/685 की भूमि का विवाद इस वाद पत्र में होने के कारण इस भूमि को विवादित भूमि कहा गया है। उक्त विवादित भूमि के 1/2 हिस्से के हिस्सेदार सेडूराम थे जिनका विरासतन नामांतरकरण जगन्नाथ एवं प्रभूदयाल के नाम से नामांतरकरण दर्ज होने के उपरान्त उन्होंने अपना हिस्सा [illegible] नंबर 2 को बेचान कर दी तथा भानाराम की मृत्यु के उपरांत विरासतन नामांतरकरण मूलाराम, [illegible]री, कजी एवं कमला के नाम दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested

हुई जिसमें मूलाराम ने भूमि खसरा नंबर 682, 681 694, 699 में 1/4 हिस्सा जो नामान्तरकरण दर्ज होने पर मिला उसको प्रतिवादी नंबर 2 सोमारी को बेचान कर दी, इसलिए सोमारी देवी की भूमि का इस वाद से कोई विवाद नहीं है। वादपत्र में भानाराम की मृत्यु के उपरांत कजी एवं कमला को मिली भूमि एवं उसके पश्चात उनके द्वारा किये गये हक त्याग की भूमि का विवाद है, जिसे मुख्य विवादित भूमि माना जावे अर्थात भानाराम के हिस्से की सम्पूर्ण खाता भूमि रकबा 0.655 हैक्टर को पूर्ण खाता इस वाद पत्र में माना गया है। भूमि खसरा नंबर 681, 682, 694, 699 व 3441/685 का भानाराम एवं भाई सेडूराम द्वारा 50 वर्ष पूर्व में ही बाहमी बंटवारा कर रखा था उक्त भूमि स्व-अर्जित है जो खातेदारी अधिकारों के अन्तर्गत मिली थी। जिसमें 682 व 694 खसरा नंबर भानामराम के पास थी तथा खसरा नंबर 681 व 699 सेडमरात कि पास थी। भूमि खसरा नंबर 3441/685 शामलाती खाली पड़ी थी। भानाराम की पुत्री नानूड़ी 1980 में ही फौत हो गयी व पुत्र मूलाराम वर्ष 2013 में भूमि विवाद के कारण फौत हो गया जो वादी के पिता थे। मूलाराम के वारिस श्रीराम, सोनाराम, रामसिंह, दिनेश पुत्रगण एवं संतरा, प्रेम, प्रमिला, शारदा, पुत्रियां तथा पत्नी प्रभा देवी हैं। इन्होंने वाद में पैरवी हेतु अपीलार्थी को पॉवरऑफ अटार्नी से मुख्त्यारआम खास नियुक्त कर रखा है। भानाराम ने अपने जीवनकाल में ही अपनी भूमि का बंटवारा अपने दोनों पुत्रों को अपने हिस्से की भूमि में से 1/2, 1/2 करके 1980 में ही सौंप दी थी और भानाराम ने स्वयं ने ही बंटवारा कर दे दिया था जिसको भी प्रतिवादी नंबर 1 ने सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी में स्वीकारा है। भानाराम व उसकी पत्नी का भरण-पोषण उसके दोनों पुत्र करते थे। कजी एवं कमला की शादी करीब 60 वर्ष पूर्व हुई थी, इनके भात छूछक आदि समस्त मूलाराम ने ही किये, पारिवारिक रीति रिवाज के अनुसार बहिने उक्त कारण से अपने भाई से पैत्रिक भूमि व पैत्रिक सम्पति में हिस्सा नहीं लेती हैं। प्रतिवादी बुधवारी मूलाराम से 30 वर्ष छोटा था, भानाराम कमाने में उस समय अक्षम था, इसलिए बहिनों एवे प्रतिवादी नंबर 1 का विवाह भी मूलाराम ने ही किया। शादी के बाद कजी एवं कमला ने अपने ससुराल में पैत्रिक सम्पति ग्रहण कर ली है। भारतीय संविधान के प्रावधानों के अनुसार एक व्यक्ति एक ही जगह पैत्रिक सम्पति ग्रहण कर सकता है, दोनों जगह पैत्रिक सम्पति ग्रहण नहीं कर सकता अनुच्छेद 13 व 15 का उल्लंघनकारी है। भानाराम की मृत्यु के पश्चात दोनों पुत्रों ने ही उनके ऋण को चुकाया है। अपीलार्थी के दादा ने अपीलार्थी के पिता को यह भूमि दी थी ।

अपीलांट ने आगे कथन किया कि भानाराम की मृत्यु के पश्चात उसके विरासतन नामांतरकरण मूलाराम, बुधवारी, कजी एवं कमला के नाम प्रतिवादी नंबर 1 ने गलत दर्ज करवाया है। प्रतिवादी नंबर 3 राजस्व अधिकारी से मिलिभगत करके गलत नामांतरकरण संख्या 1526 दिनांक 22.8. 2007 दर्ज करवाया है, क्योंकि कजी व कमला पुत्री थी ही [illegible] और जब उनकी शादी की तब

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested

पुत्रियों को पिता की सम्पति में अधिकार देने का कोई कानून नहीं था। भानाराम की मृत्यु उपरांत तस्दीक वारिस प्रमाण पत्र नगरपालिका उदयपुरवाटी ने भी मूलाराम एवुं बुधवारी मात्र दो ही वारिसों के नाम से जारी किया। उक्त वारिस प्रमाण पत्र की भी तहसीलदार उदयपुरवाटी ने अवहेलना करके गलत नामांतरकरण दर्ज किया है कब्जे के अनुसार नामांतरकरण दर्ज नहीं किया। पटवारी हल्का ने वादी के पिता मूलाराम तथा बुधवारी लाल को भानाराम की भूमि का 1/2, 1/2 हिस्से में किये गये लिखित बंटवारा जिसमें भानाराम की सहमति से किया गया पारिवारिक बंटवारा है जो दिनांक 1.5. 1996 को हुआ था जिसकी प्रतिवादी नंबर 3 ने अवहेलना की है तथा जिसको प्रतिवादी नंबर 1 ने सिविल न्यायालय उदयपुरवाटी में स्वीकार किया गया है।

अपीलांट का कथन है कि हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 2005 में उपबन्धित प्रावधान के अनुसार धारा 06(5)के अनुसार कोई पारिवारिक बंटवारा दिनांक 20.12.2004 से पूर्व हो चुका हो तो वहां पुत्रियों को हिस्सा नहीं मिलेगा। आज भी विवादित भूमि पर 1/2 हिस्से पर मूलाराम के वारिसान वादी का कब्जा है। कजी एवं कमला के नाम नामान्तरकरण संख्या 1526 एवं 1580 उदयपुरवाटी में बुधवारी को कब्जा नहीं मिला है। प्रतिवादी नंबर 1 ने कजी एवं कमला को बहला फुसलाकर उनके हिस्से में दर्ज 1/4, 1/4 हिस्से की भूमि का हकत्याग करवाया है। उक्त रिलिज डीड का पटवारी हल्का एवं प्रतिवादी नंबर 3 ने गलत नामान्तरकरण दर्ज किया है। रिलिज डीड का अर्थ होता है हक त्यागकर्ता अपना हक उसी खाते में छोड़ रहा है। अर्थात उस खाते में सभी खातेदारान को सम हिस्सा जायेगा न कि किसी एक खातेदार को। चाहे हकत्यागकर्ता अपने हक को त्याग कर रहा है अर्थात अपना हक उस खाते में ही छोड़ रहा है। यहां विवादित भूमि भानाराम की है जो विवादित भूमि में 1/2 हिस्से का खातेदार था। भानाराम की मृत्यु के उपरांत नामांतरकरण द्वारा चार खातेदार मूलाराम, बुधवारी,कजी एवं कमला बने। यदि कजी एवं कमला हक त्याग करती हैं तो उन दोनोंका हिस्सा समभागों में मूलाराम वादी के पिता तथा बुधवारी को बराबर–बराबर जायेगा। क्योंकि दोनों में ब्लड रिलेशन बराबर है। चाहे हक त्याग में नाम अकेले बुधवारी का ही क्यों ना हो। उक्त रिलीज डीड बाबत विभिन्न न्यायालय द्वारा सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैं जो किएम. कृष्णा राव बनाम एम.एल. नरसिखा राव वगैरह में यह बताया गया है कि रिलीज डीड में हक त्यागकर्ता को पूर्व में अधिकार था तो वह रिलीज डीड करवाते ही खोदिया है। अर्थात उक्त का सम्पूर्ण हिस्सा उस खाते के सभी खातेदारों को चला गया यदि पूर्व में अधिकार नहीं था, तो भी उसके द्वारा करवाया गया रिलीज डीड बेअसर हो जायेगा क्योंकि उसके द्वारा त्यागे गये अधिकार शेष बचे खाते में खातेदारों को चला जायेगा। इससे उस खाते में रिलीज डीड द्वारा त्यागे गयेअधिकार [illegible] सा सम हिस्सों में शेष खातेदारों को जायेगा। राजस्व मण्डल द्वारा कमला देवी बनाम चम्पालाल [illegible] यही सिद्धांत प्रतिपादित किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested

जा चुका है कि कोई भी खातेदार अपनी सम्पति सभी खातेदारों के हक में छोड़ सकता है, परन्तु किसी विशिष्ट खातेदार के हक में त्याग नहीं कर सकता। अतः हक त्याग पत्र के पश्चात जो उदयपुरवाटी के नामान्तकरण संख्या 1580 दिनांक 22.10.2007 कजी एवं कमला से बुधवारी अकेले को हुआ है, उसे खारिज किया जावे।

अंत में अपील पेश कर निवेदन किया कि उदयपुरवाटी की भूमि खसरा नंबर 681, 682, 694, 699, 3441/685 में अपीलांट के पिता मूलाराम अथवा उसके वारिसों के नाम 1/4 हिस्सा फरमाया जावे अथवा विवादित भूमि भानाराम के हिस्से में 1/2 हिस्सा मूलाराम के वारिसानों के नाम करने का आदेश फरमाया जावे।

उदयपुरवाटी के नामान्तरकरण संख्या 1526 दिनांक 22.8.2007 में गलत वारिस दर्ज करने के कारण तथा उदयपुरवाटी के नामान्तरकरण संख्या 1580 दिनांक 22.10.2007 में हक त्याग से भूमि एक खातेदार के नाम नहीं होकर शेष सभी खातेदारों के पक्ष में दर्ज नहीं करने के कारण नामान्तरकरण संख्या 1580 को भी खारिज फरमावे।

भूमि भूमि खसरा नंबर 681, 682, 694, 699, 3441/685 हकत्याग से उदयपुरवाटी के नामान्तरकरण संख्या 1580 दिनांक 22.10.2007 को खारिज फरमाने के उपरांत उपरोक्त खसरा नंबरों की भूमि में राजस्व रिकार्ड में 1/8 भूमि अपीलार्थी के पिता के या स्व. मूलाराम के नाम अथावा स्व. मूलाराम के वारिसान के नाम दर्ज करने का आदेश फरमाया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 1580 दिनांक 22.10.2007 हक त्याग रजिस्टर्ड रिलिज डीड के आधार पर तस्दीक किया गया है। नामान्तरकरण संख्या 1526 दिनांक 22.8.2007 में गलत वारिस दर्ज करने के कारण अपीलांट ने नामांतरकरण को निरस्त कराना चाहा है। वारिसान का बिन्दु सक्षम न्यायालय से तय होना है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज किये जाने का निवेदन किया गया ।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार उदयपुरवाटी की नामांतरकरण पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार उदयपुरवाटी द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 1580 दिनांक 22.10.2007 हक त्याग रजिस्टर्ड रिलिज डीड के आधार पर तस्दीक किया गया है। जहां तक नामांतरकरण संख्या 1526 दिनांक 22.8.2007 को निरस्त किये जाने का प्रश्न है। अपीलांट ने अपील मेमों में कजी और कमला को गोपीराम पुत्र मांगुराम की [illegible] हो[illegible] का कथन किया है और गोपीराम की पत्नी ज्यानकी द्वारा भानाराम नामक व्यक्ति से दूसरी [illegible] करना एवं भानाराम से दो पुत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested

मूलाराम व बुधवारी पैदा होने का कथन किया है। अर्थात कजी और कमला को भानाराम की पुत्रियां नहीं होने का कथन किया गया है तथा प्रकरण में उनके हक त्याग के बिन्दु को उठाया गया है। ऐसी स्थिति में सक्षम न्यायालय से वारिसान के बिन्दु को अपीलांट को तय कराना होगा जो दोनों पक्षों को सुनवाई के उपरांत बाद साक्ष्य तय किया जाना विधि सम्मत होगा। अपीलांट द्वारा अपील मेमों में जो कथन किये गये हैं वह मौखिक साक्ष्य है इसकी ताईद किसी दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं होती। ऐसी स्थिति में केवल मात्र अपीलांट के मौखिक कथनों पर विश्वास करके नामांतरकरण संख्या 1526 दिनांक 22.8.2007 को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट्स खारिज की जाती है। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 29.8.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.08.31 17:08:03 IST
Reason: SelfAttested